राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग
प्रिंटिंग स्टोर

क्रमांक - एफ.6 (11)/कार्मिक/ख-3/2017 जयपुर, दिनांक 08.09.2017

ई–निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) राज्य की लघु उद्योग इकाईयों से क्रय किये जाने की निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑन लाईन के माध्यम मे ई-निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत विवरण
1	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) क्रय किये जाने हेतु (क्रय किये जाने वाले मुद्रित सामग्री का विस्तृत विवरण एनेक्सर ई पर संलग्न) (लघु उद्योग इकाईयों के लिये आरक्षित)
2	निविदा की अनुमानित लागत	12.00 लाख रूपये
3	बोली प्रतिभूति राशि	6000 रुपये
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	200.00 रुपये
5	RISL प्रोसेसिंग शुल्क	500.00 रुपये प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम मे डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ हो।
6	निविदा आमंत्रितकर्ता	**सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख–3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर**
7	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	08/09/2017 को सायं 4.00 बजे
8	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	27/09/2017 को दोपहर 03.00 बजे
9	निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं सप्लाई किये जाने वाले सामान के नमूने प्रस्तुत करने की तिथि व समय	27/09/2017 को सायं 3.00 बजे
10	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	27/09/2017 को सायं 4.00 बजे
11	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप मे योग्य निविदादाताओं को अलग मे सूचित कर दिया जावेगा ।
12	अनुबंध की अवधि	एक वर्ष (आदेश दिनांक से)
13	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	नियमानुसार

नोट-

1. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखे जा सकते है।
2. इच्छुक निविदादाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है एवं इसी वेबसाईट पर निविदा आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोली प्रतिभूति एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गई विधि मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए।
4. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथी को अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।

महायक शासन सचिव
कार्मिक (ख–3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) क्रय किये जाने की निविदा में दरों के अनुमोदन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग		कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर		
2	निविदा का संदर्भ		निविदा सूचना क्रमांकः प 6(11) कार्मिक/ख-3/ विभाग/ 2017 दिनांक 08/ 09/ 2017		
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण		शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री) मुद्रित लिफाफे खाकीस्लिप पैड एंव ,फाईल लैस ,फाईल पैड , (डाक पैड क्रय के लिए दरों के अनुमोदन हेतु।		
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम		**सहायक शासन सचिव, कार्मिक(ख-3) विभाग शासन सचिवालय ,जयपुर**		
5	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी व समय		दिनांक 27/ 09/ 2017 को सांय 03.00 बजे तक		
6	तकनीकी निविदा खुलने की तिथी और समय		दिनांक 27/ 09/ 2017 को सायं 4.00 बजे निविदा जॉच समिति द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग के कक्ष संख्या 7008 ए खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर		
7	निविदादाता का विवरण	नाम			
		पता			
		टेलीफोन			
		मोबाइल फोन			
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/ **पदनाम**			
8	निविदा शुल्क राशि 200/ -रूपये जमा कराने का विवरण		डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक संख्या &&&&&& दिनांक &&&&&&		
9	निविदा प्रसंकरण शुल्क राशि 500/ - रूपये का जमा करवाये जाने का विवरण		डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक संख्या &&&&&& दिनांक &&&&&&		
10	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 6000/ - जमा कराने का विवरण		डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक संख्या &&&&&& दिनांक &&&&&&		
11	राजकीय विभागों/ संस्थाओं या सार्वजनिक / निजी संस्थाओं में मुद्रित सामग्री) मुद्रित लिफाफे खाकी ,फाईल पैड , फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड(सप्लाई करने का एक वर्ष के अनुभव का विवरण)	वर्ष	विभाग नाम	कार्य की राशि	अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें। (पृष्ठ संख्या)

12	वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी दिनांक 31/ 03/ 2017 तक का वैट चुकता प्रमाण पत्र		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....
13	आयकर पैन **(PAN)** नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....
14	जी एस टी पंजीयन प्रमाण-पत्र		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....
15	फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिक्री/ टर्नओवर रूपये 12.00 लाख होना आवश्यक है। लेखों की प्रति संलग्न करे।	बिक्री/ टर्नओवर की राशि रूपये वर्ष 2016-17 रूपये.....	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....
16	उद्योग विभाग द्वारा मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) के लिये जारी **Entrepreneurial Memorandum Part-II एवं Memorandum/ Registration Certificate/ Udyog Aadhar**	प्रमाणपत्र संख्या	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....
17	Affidavit (Form-B)	प्रमाणपत्र संख्या	संलग्न करे पृष्ठ सख्या .....

<u>निविदादाता द्वारा घोषणाः-</u>

1. निविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुये तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करने हैं :-

(1) एनेक्चर-ए हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(2) एनेक्चर-बी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(3) एनेक्चर-सी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(4) एनेक्चर-डी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(5) एनेक्चर-ई हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(6) एनेक्चर-एफ हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(7) एनेक्चर-जी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(8) एनेक्चर-एच हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

(9) एनेक्चर- जे हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या .....

2. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें एनेक्चर-जी मेरे/ हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/ हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/ हैं।

3. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा में सप्लाई किये जानी वाली सामग्री की दरों के अलावा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

4. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का होगा ।

5. क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्माता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6. निविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एंव 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।

7. यह कि मेरी/ हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

8. जिन सामान की कीमत पर जी एस टी अलग से देय है उसका उल्लेख दरों में किया जावे। जिस सामान की दरे जी एस टी सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ किया जावें।

9. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवँ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर-ई के अनुसार है।

   (ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर-एच में अंकित की गयी है ।

10- क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 20 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश् के 50 प्रतिशत सामान की आपूर्ति **10 दिवस** में की जानी होगी।

11- विनिर्माता का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है। संलग्न-एफ

12. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल के उपापन के मामले में कुल कार्य आदेश की रकम की 1 प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी। राजस्थान के लघु उद्रयोगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये आदिष्ट परिणाम की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्रयोगों से भिन्न रूग्ण उद्रयोगें, जिनके मामले ओद्रयोगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लंबित हैं, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी । अर्थात कार्य सम्पादन प्रतिभूति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/ संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड़ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3) विभाग
प्रिंटिंग स्टोर

क्रमांक प. 6(11) कार्मिक/ ख-3/ 2017 जयपुर, दिनांक- 08.09.2017

ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) राज्य की कुटीर एंव लघु औद्योगिक इकाईयों से क्रय किये जाने हेतु मोहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) ई-निविदा दिनांक 27.09.2017 को सांय 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	शासन सचिवालय के उपयोगार्थ मुद्रित सामग्री (मुद्रित लिफाफे खाकी, फाईल पैड, फाईल लैस, स्लिप पैड एंव डाक पैड) क्रय किये जाने बाबत ई-निविदा **(लघु उद्योग इकाईयों के लिये आरक्षित)**	12.00 लाख	6000/-	200/-

निविदा की शर्ते :-

1. बोली प्रतिभूति राशि, RISL, निविदा प्रपत्र शुल्क के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद, **Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur** के कार्यालय में कोई भी विक्रेता किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 27.09.2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट **www.dop.rajasthan.gov.in,** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साईट **www.dipr.rajasthan.gov.in,** राज्य लोक उपापन पोर्टल (**http://sppp.raj.nic.in**), **www.eproc.rajasthan.gov.in** के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा प्रथक से डाफट **Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur** के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में आनलाईन स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के साथ दिनांक 31.03.2017 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन् नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. उक्त् निविदा में राज्य की लघु औधौगिक इकाईयॉ जो **उद्योग** विभाग द्वारा **EntrepreneurialMemorandum Part-II/Memorandum/Registration Certificate/Udyog Aadhar** के अन्तर्गत मुद्रित सामग्री सप्लाई के लिये पंजीकृत है, भाग ले सकेंगी ।
5. निर्धारित तिथी व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग का होगा।
7. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते:-**

1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।
2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/ - डाफ्ट।
3. RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रू. 500/ - का बैंकर चैक/ डिमाण्ड डाफट।

8. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :-**

1. निविदा के साथ दिनांक 31.03.2017 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र ।
2. जी.एस.टी पंजीयन का प्रमाण पत्र ।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रति।
4. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबधित सभी परिशिष्ट स्वंय द्वारा प्रमाणित किये हाने चाहियें।

5. उधोग विभाग द्वारा मुद्रित सामग्री के लिये जारी Entrepreneurial Memorandum Part-II एवं Memorandum/ Registration Certificate/ Udyog Aadhar
6. राजकीय कार्यालयों/ निजी/ सार्वजनिक संस्थाओं में संतोषप्रदरूप से मुद्रित सामग्री सप्लाई किये जाने का एक वर्ष् का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 12 लाख वार्षिक टर्नओवर संबंधी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक हैं।
9 **<u>निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा एवं नमूनों को तकनीकी द्रष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।</u>**
10. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी। जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एंव 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।
11. (**i**) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान के लघु उघोगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त रकम की 1 प्रतिशत होगी।
(**ii**) बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टक्रत सोसाईटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
12. बोली प्रतिभूति / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उघोग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पास रजिस्टीक्रत कुटीर एवं लघु उघोग विभाग उन पदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वे इस रूप में रजिस्टीक्रत हैं, सामान का क्रय (राजस्थान के उघोग के अधिमान) नियम 1995 के नियम-8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प.1(1)वित्त/ सा.नि.लेनि./ 2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/ 2010 में वर्णित हैं के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/ कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

13. सामान्/ वस्तु की क्रय राशि अनुमानित हैं। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम अथवा अधिक हो सकती है।
14. विशेष परिस्थितियों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
15. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तो में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कट करता/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वत: कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

16. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। अत: उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें।

17. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

(1.) कार्मिक कार्मिक (ख–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये मुद्रित सामग्री क्रय किये जाने की निविदा हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें ।

(2.) बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 8 देखें।

(3.) बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है.

(4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 200 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा - नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक जो Joint Secretary, DOP-B, Secretaritat, Jaipur के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क. 500 / - डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है

(5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।

(6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

(7.) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉपी दिनांक 00/ 00/ 2017 को सांय 3.00 बजे तक सहायक शासन सचिव,कार्मिक(**ख–3**) शासन सचिवालय के कक्ष में जमा करवानी होगी।

18. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु

(1.) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।

(2.) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।

(3.) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा।
(4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं को बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें जबकि अपलोड/ डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(5.) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है।
(6.) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
(7.) कामिर्क विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
(8.) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।
(9.) कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर दिखना चाहिए।
(10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं।
(11.) बोलीदाताओं को उनकी बोली प्रतिभूति राशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए।

(12.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए।
(13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सचर "सी" वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें।
(14.) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
(15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का समय होगा।

(16.) निविदा शुल्क, RISL प्रसंस्करण शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के बैकर चैक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट एनेक्सर-जे में अलग से प्रस्तुत किये जावेगें।

सहायक शासन सचिव,

कार्मिक(**ख–3**) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .....of .....

Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   .....
   .....
   ..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   .....
   .....
   .....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc1

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

एनेक्सर-ई

क्रय किये जाने वाले मुद्रित सामग्री(लघु उद्योग इकाईयों के लिये आरक्षित) का विवरण

क्र0सं0	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	वजन स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	नमूना संलग्न है / नहीं
1	मुद्रित लिफाफे खाकी फाईल साईज 18" X 12"	2500 ग्राम प्रति सौ	25,000	
2	मुद्रित लिफाफे खाकी बडें 11" X 5"	420 ग्राम प्रति सौ	3,00,000	
3	मुद्रित लिफाफे खाकी मध्यम 9"X 4"	290 ग्राम प्रति सौ	3,00,000	
4	फाईल पैड 14" X 10" दोनों तरफ क्राफ्ट पेपर फ्लेप साईज 25" X 4" टेप की लम्बाई 36"	180 ग्राम प्रति पैड	1,25,000	
5	फाईल लैस लम्बाई 24" (सुपिरियर के समकक्ष) नं0 924 (100 नग एक पैकिट)	लम्बाई 24"	1,25,000	
6	डाक पैड (सुपिरियर के समकक्ष)	वजन 450 ग्राम	250	
7	स्लिप पैड साईज 8.5" X 5.5" (160 पेज सुपिरियर क्वालिटी)		300	
8	स्लिप पैड साईज 8.5" X 5" (40 पेज सुपिरियर क्वालिटी)		500	

नोट- 1. उपरोक्त क्रय हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या बढोतरी संभव है।

2. निविदा के साथ **सभी आईटमों के नमूने संलग्न करना अनिवार्य होगा** ।सभी आईटमों के नमूने /सेम्पल दिनांक 27/ 09/ 2017 को सायं 3.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैा प्राप्त नमूनो की जॉच तकनीकी समिति द्वारा की जावेगी तथा नमूना उपयुक्त पाये जाने पर ही उक्त आईटम की दरों पर विचार किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नम्बर (दुकान) (घर)

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure :F

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की कुटीर/लघु उधोग ईकाई के रूप में निर्माता हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्दद् कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम.....

पूर्ण पता.....

.....

टेलीफोन नं. (निवास)..... (दुकान).....

एनेक्सर-जी

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये मुद्रित सामग्री क्रय किये जाने की निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में बोली प्रतिभूति राशि 6000.00 (रूपये छः हजार मात्र) का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट "Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur" के नाम।
3 फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष **2016-17** में फर्म की बिक्री/ टर्नओवर रू**. 12.00** लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
4 जी.एस.टी पंजीयन की प्रति तथा फर्म/संस्थान द्वारा दिनांक 31/03/2017 तक का वैट चुकता प्रमाण प्रपत्र प्रति संलग्न करनी होगी!
5 निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी। इसलिए वित्तीय निविदा को छोडकर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी0डी0/बैंकर चैक एवं अन्य सभी संलग्नक की हार्ड कॉपी ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक ..... को सायं 3.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे।
6 यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेंगी। इस हेतु गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।
7 निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
8 तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन निविदादाताओं की ही निविदा ऑन लाईन वित्तीय निविदा खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/ प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।
9 निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय को किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. वास्तविक निर्माताओं द्वारा निविदाएँ :- निविदाएँ मालों के वास्तविक निर्माताओं द्वारा ही दी जायेगी। अत: ये एस आर प्ररूप-11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
    (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
    (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीक़ृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।
11- जी एस टी पंजीयन एवं वैट चुकती प्रमाण पत्र:- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। जी एस टी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा का रदद कर दिया जाएगा।
12. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/ जी एस टी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वरा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है अत: इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुन: बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

13 दरों की तुलना :- राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में राजस्थान बिक्री कर राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिकी कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

14 मूल्य अधिमान :- (मूल्य अधिमान/ अधिमान, राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय राजस्थान के उद्योगो को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।

15 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

16 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाड (सब लैट) पर नहीं देगा।

17 विनिर्देश :- (1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी जहां पर वस्तुओं की आई एस आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/ क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओ का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामाग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित दरे न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में की क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) वारंटी/ गांरटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/ सामान/ वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/ सामान/ वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ..... दिनों/ माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/ सामानों/ वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि ..... दिनों/ माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/ सामानों वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/ सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/ सामान/ वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने कसे सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसके दी गई शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

¼4½ मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीक़त अवधि में पूर्जो। यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

¼5½ क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख-रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पयेर पार्टस खरीद सकेगा।

18. निरीक्षण:- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिक़त प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/ उपकरणों/ मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण् किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डिलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

19- नमूने:- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/ आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/ खाघ् पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

20- प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

21- अनुमोदित नमूनों को निविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक नि:शुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ती पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

22- असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो, जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामास्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

24- नमूने निकालना:- परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हे उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक् सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

25- परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

26- रदद करना :-

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रदद किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

27- रदद की गई वस्तुओ को निविदादाता उन्हे रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम पर उसके मद्े उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

28- निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुवान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/ निरीक्षण किए जाने पाई गई ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगा।

29- प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

30- निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

31- (i) सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए..... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 20 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि 20 दिवस

(ii) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शतो पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खूली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :-

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

32- बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-42 के तहत बोली प्रतिभूति राशि निम्नानुसार देय होगी-

(क) निविदा के साथ की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि joint Secretary, DOP-B, Secreatariat, Jaipur के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए:-

(i) बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी ।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक डाफट/ बैंकर्स चैक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:- असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) (बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मो को जो निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप मे रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के **0.5 प्रतिशत** दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ड)+ अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद् की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

33- बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहत कर लिया जाएगा:-

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

34-(i) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स्) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के सवीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर किस निविदादाता के विरूध् कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदशक उघोग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। और कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की दो प्रतिशत ली जावेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगों।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन किया गया।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प् लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) नि:शुल्क दी जाएगी।

35- (i) समस्त माल रेल्वे या गुडस टांस्पोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर आर केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

36- बीमा:-(i) सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

37- भुगतान :-

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/ प्रतिष्ठित गुड्स टांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हाल में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आश्य के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विविदास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका निरीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

38- (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:- (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागु होगी।

(1)	(क)	विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड् दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

(6) - वसूलियॉ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

39- निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

40- यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

41- क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद. करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/ प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

42- निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व् के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iii) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

43- यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation)। आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न् होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

44- समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

45- उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होगें।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं. मोबाईल नं.	

Annexure-I

Form-B
Affidavit

I----------S/o----------Aged---------Yrs. residing at----------
Proprietor/Partner/Director of M/s----------
do hereby solemnly affirm and declare that:-

(a) My/Our above noted enterprise M/s----------hasbeen issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center----------.The acknowledgement No. is ---------- ---------- dated---------- and has been issued for manufacture of following items:-

Name of item	Production Capicity (Yearly)
i-	
ii-	
iii-	
iv-	
v-	

(b) My/Our above noted acknoledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place:----------

Signature of
Proprietor/Director Authorised Signatory
With rubber stamp and date

Note: If the cost of items to be procured/hired exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh), the Procuring Entity would be required to have the production unit inspected to satisfy itself of the production capacity and that the quility control measures are installed.

एनेक्सर-जे

सहायक शासन सचिव,
कार्मिक (ख — 3) विभाग

विषय :- निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक 6(11) कार्मिक/ख–3/2017 दिनांक 08/ 09/ 2017 के क्रम में **शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये मुद्रित सामग्री क्रय किये जाने की दरों के अनुमोदन हेतु** अपने अनुबंध (एस) के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है, जबकि

1. निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा कराये जाने के सबूत के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है

क्र0सं0	विवरण्	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क: रु. 200 / - नकद, डीडी / बैंकर चैक (Joint Secretary, DOP (B) Secretariat के नाम से बना हो और जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 500/- नकद, डीडी /बैंकर्स चैक (प्रबन्ध निदेशक RISL, के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 6,000 / - नकद, डीडी / बैकर्स चैक (Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur के नाम से बना हो, और जयपुर में देय हो)			

2. अनुबंध की अवधि के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जाएगा.
3. मैं/हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए बाध्य होगें।
4. इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं/ हम एतद्वारा (**एनेक्चर-ए से आई तक**) के साथ ही विधिवत मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं. मैं/हम मेरे/हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं.
5.मेरे द्वारा सल्गन सभी दस्तावेज सही/सत्य है असत्य पाये जानें पर विभाग कानूनी कार्यवाही करनें के लिये स्वतंत्र है ।
6. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

एनेक्सर-एच

'Financial Tender Form'

Tender Document for

शासन सचिवालय के उपयोग हेतु मुद्रित सामग्री क्रय किये जाने बाबत निविदा।

Ref. NIT No. F-6 (11)DOP/ B-III/ 2017 Jaipur, dated 08.09.2017

Tender Inviting Authority: ASSISTANT SECRETARY, DOP (B-3), Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan	
Name of Work : शासन सचिवालय के उपयोग हेतु मुद्रित सामग्री क्रय किये जाने बाबत निविदा	
Contract No: Ref. NIT No. F-6 (11)DOP/B-III/2017 Jaipur, dated 00. 00. 2017	
Bidder Name :	
SCHEDULE OF WORKS	

S.No.	Name of Item	Price per Unit	GST	Total Amount
1	**मुद्रित लिफाफे खाकी फाईल साईज 18" X 12"**			
2	**मुद्रित लिफाफे खाकी बडें 11" X 5"**			
3	**मुद्रित लिफाफे खाकी मध्यम 9"X 4"**			
4	**फाईल पैड 14" X 10" दोनों तरफ क्राफ्ट पेपर फ्लेप साईज 25" X 4" टेप की लम्बाई 36"**			
5	**फाईल लैस लम्बाई 24" (सुपिरियर के समकक्ष) नं0 924 (100 नग एक पैकिट)**			
6	**डाक पैड (सुपिरियर के समकक्ष)**			
7	**स्लिप पैड साईज 8.5" X 5.5" (160 पेज सुपिरियर क्वालिटी)**			
8	**स्लिप पैड साईज 8.5" X 5" (40 पेज सुपिरियर क्वालिटी)**			

नोट- 1. व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय बिल वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 1(1)वित्त/ जीएफएण्डआर/ 07 दिनांक 21-04-2010 एवं राज्य लोक उपापन नियम-2013 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) (घर)

जयपुर

दिनांक